कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 573 दिनांक :– 07/7/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :– **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. इस कार्यालय का पत्रांक 771 दिनांक 21.08.2024
2. आपका पत्रांक 278 दिनांक 06.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) में इस कार्यालय का पत्रांक 771 दिनांक 21.08.2024 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन आपके पत्रांक 278 दिनांक 06.06.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, जो अपूर्ण है।

प्रश्नगत प्रस्ताव में निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है :–

1. परियोजना प्रस्ताव में KML File के अनुसार प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के बीच से रोड गुजर रही है, जिसमें या तो Overbrige या रेलवे क्रोसिंग का निर्माण किया जाना होगा। प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका– B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Component Wise Breakup में रेल और रोड दर्शाया गया है। रोड का Component जैसे–Bridge, Culvert, Shoulder, Pavement, Black top, flank इत्यादि एवं रेल का Component जैसे–Track, Railway line & its embankment, CHP & Ground Bunkers, Silo, Cabin, TMS Room इत्यादि दर्शाया जाना अपेक्षित है।
2. Village Wise Cadstral Map अपलोड नहीं किया गया है। इसे अपलोड किया जाना अपेक्षित है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–B.1 में पूर्व के प्रस्तावों का विवरण अंकित नहीं है।
4. पक्की रोड पूर्व से मौजूद है तो रेलवे कोरिडोर बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है।
5. DSS के अवलोकन से यह पता चलता है कि परियोजना के लीज क्षेत्र में पूर्व से ही ग्रामीण सड़क (Black Top) मौजूद है। इसके बावजूद प्रस्ताव में एक अलग से वनभूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित किये जाने औचित्य बताया जाय।
6. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण का KML अपलोड नहीं किया गया है।
7. प्रस्ताव में वन प्रण्मडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल का CA Suitability तीन वर्ष पूर्व का है। वर्तमान समय में इसका उपयोगिता एवं अद्यतन स्थिति अपेक्षित है।
8. प्रस्ताव का कुछ एरिया रेलवे का भू–भाग के अन्दर पड़ रहा है। इस एरिया में रेलवे कोरिडोर निर्माण हेतु रेलवे से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना हेतु Elevated Road & Rail line निर्माण होने का सूचना दिया गया है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किस जगह Elevated Road & Rail line निर्माण होगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका प्रस्ताव में दर्शाया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 573 **दिनांक :–** 07/7/2025

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/मेसर्स हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0, वंसुधरा मेगा मार्ट, द्वितीय तल, निकट अरगोड़ा चौक, अरगोड़ा, राँची, झारखण्ड–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/7/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

E:\ANUJ\Nitish\Chakla Rail & Road 6.8 ha\Chakla Rail & Road letter 6.8 ha..doc